

## कार्यालय जिला पंचायत फर्रुखाबाद।

पत्रांक: / जि०पं०फ०/ निर्माण /2017-18

दिनांक 10.10.2017

### ई-निविदा प्रणाली के अन्तर्गत अति अल्पकालीन निविदा सूचना

जिला पंचायत, फर्रुखाबाद के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत शासन से प्राप्त अनुदान से जिला पंचायत, फर्रुखाबाद द्वारा निर्मित सडकों को गड़डामुक्त किये जाने के परिपालन में जिला पंचायत, फर्रुखाबाद द्वारा दिनांक 16.10.2017 को अपरान्ह समय 03:00 बजे तक ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निविदायें आमन्त्रित की जाती है। निविदा सूचना ऑनलाइन दिनांक 11.10.2017 अपरान्ह 21:00 बजे से दिनांक 16.06.2017 को अपरान्ह 01:00 बजे तक ई-टेण्डरिंग पोर्टल <http://e-tender.up.nic.in> पर उपलब्ध है, जिसे ऑनलाइन <http://up.nic.in> पर ही Upload/Download/Submit किया जा सकेगा। आमन्त्रित निविदायें दिनांक 16.10.2017 को ही अपरान्ह 03:00 बजे निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। प्रत्येक निविदा के साथ 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंको की एफ०डी०आर०/डॉकघर की एन०एस०सी० के साथ-साथ निविदा मूल्य का ड्राफ्ट जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, फर्रुखाबाद के नाम बन्धक अपर मुख्य अधिकारी, फर्रुखाबाद को देय होगा। जिसकी स्कैन प्रतियां निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा तथा मूल प्रतियां निविदा आमन्त्रित करने की तिथि तक कार्यालय जिला पंचायत, फर्रुखाबाद में जमा करनी होगी। प्रत्येक निविदा के साथ रू० 100/- के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र ऑन लाइन स्कैन करते हुये निविदा के साथ संलग्न करना होगा। बिना धरोहर धनराशि निविदा मूल्य तथा अद्यतन चरित्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। किसी/सभी निविदा बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष महोदय में निहित है। निविदा सम्बन्धी कोई भी जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला पंचायत, फर्रुखाबाद से की जा सकती है। कार्यों का विवरण ऑनलाईन के साथ-साथ जिला पंचायत नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध है।

501

अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, फर्रुखाबाद।

पृष्ठांकन सं०: 736 / निर्माण / जि०पं० / 2017-18

तद दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" एवं "दैनिक जागरण" को इस आशय से कि उपरोक्त विज्ञापन अपने समाचार पत्र के अगले अंक में कम से कम स्थान में प्रकाशित कर, विज्ञापन की दो प्रतियां बिल सहित इस कार्यालय को प्रेषित करें।
2. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद-फर्रुखाबाद।(नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु)
3. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी जि०पं०, फर्रुखाबाद की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
4. कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई विभाग, लो०नि०वि० फर्रुखाबाद को (नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु)।
5. कार्यालय अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद को (नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु)।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी [nic.in](http://nic.in) फर्रुखाबाद को इस आशय से प्रेषित की अपनी बेवसाइड में संलग्न सी०डी०, प्रकाशित करने का कष्ट करें। (सी०डी० सहित)
7. नोटिस बोर्ड जिला पंचायत, फर्रुखाबाद में चस्पा हेतु।
8. वित्तीय परामर्शदाता, अभियन्ता, लेखाकार व कैशियर जि०पं० फर्रुखाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. जिला पंचायत के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचनार्थ।

अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, फर्रुखाबाद।